राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट पाली

क्रमांकः सूप्रौ/मृआटंप/2020/4190 दिनांक : 07.01.2021

कार्यालय आदेश

कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 06.12.2019 के द्वारा दिनांक 31.12.2016 से पूर्व नियुक्त कार्मिकों की 30 जून 2020 तक दो विशेष टंकण परीक्षाऐं आयोजित करने हेतु कार्मिक विभाग द्वारा निर्देश प्रदान किये गये थे। किन्तु कोविड-19 के कारण हुए लॉक डाउन के कारण उक्त परीक्षा की समयावधि को (30 जून 2020) को बढाकर 30 सितम्बर 2020 किया गया था।

कार्मिक (क-2) विभाग के पत्रांक क्रमांक-प. 3(1)कार्मिक/क-2/2013 दिनांक 23 अक्टूबर 2020 के अनुसार कोविड-19 से उत्पन्न विषम परिस्थितियों के मध्यनजर मृतक आश्रित कर्मचारियों की टंकण परीक्षा (द्वितीय विशेष अवसर) आयोजित नहीं होने अथवा कार्मिक जो उक्त अवधि तक आयोजित कि जाने वाली टंकण परीक्षा (विशेष अवसर) में अनुत्तीर्ण रहे है, उन्हे भी एक और अवसर प्रदान करते हुए मार्च माह तक ली जाने वाली टंकण परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अतः टंकण परीक्षा सितम्बर 2020 (विशेष अवसर) में असफल रहे कार्मिक अथवा आवेदन करने से वंचित रहे पात्र अभ्यर्थियों को मार्च 2021 तक आयोजित करवायी जाने वाली टंकण परीक्षा (विशेष अवसर) में निम्नानुसार आवेदन कर सकते है-

क्र.स.	परीक्षा का नाम	आवेदन करने की अन्तिम तिथि
1	टंकण परीक्षा मार्च 2021 (विशेष अवसर)	31 जनवरी, 2021

नोटः आवेदन करने की निर्धारित अन्तिम तिथि (31 जनवरी, 2021) के पश्चात् आवेदन दस्तावेज प्रस्तुत करने पर कार्मिकों को उक्त परीक्षाओं में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

-- SD --

अध्यक्ष

टंकण परीक्षा आयोजन समिति

एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

क्रमांकः सूप्रौ/मृआटंप/2020/4191-4195 दिनांक : 07.01.2021

प्रतिलिपिः-

1. श्रीमान् जिला कलक्टर, पाली।
2. उपखण्ड अधिकारी, पाली।
3. जिला स्तरीय अधिकारी (समस्त), पाली को भेजकर निवेदन है कि अपने कार्यालय के अधीन समस्त कार्यालयों में उक्त आदेश को भिजवाने का श्रम करावे।
4. कार्यालयाध्यक्ष (समस्त), जिला पाली को भेजकर लेख है कि अपने कार्यालय में पदस्थापित अनुकम्पा नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों (उक्त परीक्षा हेतु पात्र) के आवेदन दस्तावेज इस कार्यालय में दिनांक 31 जनवरी, 2021 तक भिजवाना सुनिश्चित करावे।
5. रक्षित पत्रावली।

-- SD --

अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली